न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 20 / 2021 तारीख दायर :–11.08.2021 दिनांक निर्णय :–08.09.2021

1. सरकार जरिये पटवारी हल्का सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.राधेश्याम पुत्र गुल्लाराम मीना निवासी सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सकट द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थी का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी राधेश्याम पुत्र गुल्लाराम उपस्थित रहा अप्रार्थी द्वारा नोटिस जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया, जिसमें अप्रार्थी द्वारा चारागाह भूमि को रेगुलाईज करने का निवेदन किया है। किन्तु चारागाह भूमि प्रतिबंन्धित श्रेणी की भूमि है। इसलिए इस प्रकार की भूमि का रेगुलाईज नहीं किया जा सकता है। इस भूमि पर अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतित होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का सकट के अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में चार दिवारी कर रास्ता अवरूद्ध कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:– अतिक्रमी राधेश्याम पुत्र गुल्लाराम मीना निवासी ग्राम सकट को आराजी ख0न0 2693 / 4140 रकबा 11.75 हे0 किस्म चारागाह में से 0.03 हे0 पर वाके ग्राम सकट से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 0.06 की 50 गुणा में मु0 3.00 / –रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों / पटवारी हल्क सकट को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपो मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.09.2021 को निर्ण लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखि दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 15 पर चा.पें. 03/-
राशि कायम किये गये।

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज.)

प्रकरण सं0 20/2021 तारीख दायर :–11.08.2021 दिनांक निर्णय :–08.09.2021

1. सरकार जरिये पटवारी हल्का सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

1.राधेश्याम पुत्र गुल्लाराम मीना निवासी सकट तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सकट द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थी का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी राधेश्याम पुत्र गुल्लाराम उपस्थित रहा अप्रार्थी द्वारा नोटिस जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया, जिसमें अप्रार्थी द्वारा चारागाह भूमि को रेगुलाईज करने का निवेदन किया है। किन्तु चारागाह भूमि प्रतिबंन्धित श्रेणी की भूमि है। इसलिए इस प्रकार की भूमि का रेगुलाईज नहीं किया जा सकता है। इस भूमि पर अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतित होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का सकट के अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2078 में चार दिवारी कर रास्ता अवरूद्ध कर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:– अतिक्रमी राधेश्याम पुत्र गुल्लाराम मीना निवासी ग्राम सकट को आराजी ख0न0 2693/4140 रकबा 11.75 हे0 किस्म चारागाह में से 0.03 हे0 पर वाके ग्राम सकट से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 0.06 की 50 गुणा में मु0 3.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्क सकट को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपो मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.09.2021 को निर्ण लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखि दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22 के पृष्ठ संख्या 15 पर चा. पे. 03/- राशि कायम किये गये।